



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 10--जुलाई 16, 2004 (अषाढ़ 19, 1926)

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 10--JULY 16, 2004 (ASADHA 19, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधानमंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 24 जून 2004

सं० ए-22012/1/2004-पी०एम०ए०—राष्ट्रपति जी, श्री आर० गोपालकृष्णन, आई०ए०एस० (मध्य प्रदेश : 1979) को दिनांक 24-6-2004 के पूर्वाह्न से लेकर पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

रोहित खेड़ा, विशेष कार्याधिकारी

दिनांक 28 जून 2004

सं० ए-22017/4/2004-पी०एम०ए०—राष्ट्रपति जी, श्री आशीष कुमार सिंह, आई०ए०एस० (महाराष्ट्र : 88) को दिनांक 22 जून, 2004 के पूर्वाह्न से लेकर 29 जनवरी, 2009 तक अथवा जब तक वे मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद न कर दें अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, प्रधान-

मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० ए-22017/5/2004-पी०एम०ए०—राष्ट्रपति जी, दूर-संचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव श्री पदम सिंह तंगनिया को दिनांक 07-06-2004 (अपराह्न) से लेकर अगले आदेश होने तक रु० 12000-16500 के वेतनमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (श्री जे० एन० दीक्षित) के निजी सचिव के पद पर उसी हैसियत में नियुक्त करते हैं।

2. वैयक्तिक स्टाफ में श्री पदम सिंह की नियुक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कार्यकाल तक तथा उनके विवेकाधीन होगी।

रोहित खेड़ा, विशेष कार्याधिकारी

## राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून, 2004

सं० आर० एस० 6 (iv)/2004/36--कार्मिक--श्री राजेश शर्मा, जिन्हें राज्य सभा की सरकारी आवासनों संबंधी मभिति के अध्यक्ष के वैयक्तिक स्टाफ में सह-पदावसान के आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव नियुक्त किया गया था, की सेवाएं 7 जून, 2004 से 15 दिन की समापन अवधि प्रदान करने के उपरांत 22 जून, 2004 के पूर्वाह्न से समाप्त कर दी गई हैं।

बंजुला जी० राजन, अवर सचिव

दिनांक 25 जून 2004

सं० आर० एस० 6(ii)/2004/37-कार्मिक--राज्य सभा की माननीय उपप्रभारति के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिवों के रूप में सह-पदावसान के आधार पर नियुक्त किए गये निम्नलिखित व्यक्तियों की सेवाएं 10 जून, 2004 से 15 दिन की समापन अवधि दिए जाने के पश्चात् 25 जून, 2004 के अपराह्न से समाप्त हो गई हैं :-

- (i) श्री एस० आर० निश्चानन
- (ii) श्री रंजन चतुर्वेदी

बंजुला जी० राजन, अवर सचिव

सं० आर० एस० 6(iii)/2004/38-कार्मिक--श्री एच० के० चानन, जिन्हें राज्य सभा में विपक्ष के नेता के वैयक्तिक स्टाफ में सह-पदावसान के आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव नियुक्त किया गया था, की सेवाएं 21 जून, 2004 के पूर्वाह्न से समाप्त कर दी गई हैं।

बंजुला जी० राजन, अवर सचिव

सं० आर० एस० 6(iii)/2004/39-कार्मिक--श्री बी० पी० थामस को राज्य सभा में विपक्ष के नेता के वैयक्तिक स्टाफ में 12,750-325-16,500 रुपये के वेतनमान में राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में 21 जून, 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक के लिए स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

2. श्री बी० पी० थामस की नियुक्ति राज्य सभा के वर्तमान विपक्ष के नेता के विवेकाधीन है और उनका कार्यकाल उनके पदावसान के साथ समाप्त हो जायेगा।

बंजुला जी० राजन, अवर सचिव

दिनांक 28 जून, 2004

सं० आर० एस० 4(viii)/2004/40-कार्मिक--पूर्व रेल राज्य मंत्री (श्री बासनगौडा आर० पाटील) के निजी सचिव के रूप में कार्यमुक्त होने और 22-6-2004 से 25-6-2004 तक 4 दिन का अर्जित अवकाश लेने के पश्चात्, श्री के० एस०

सोमशेखर, संसदीय भाषान्तरकार ने 28 जून, 2004 के पूर्वाह्न से इस सचिवालय में अपना कार्यभार पुनः ग्रहण कर लिया है।

बंजुला जी० राजन, अवर सचिव

## मंत्रिमंडलीय सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2004

सं० ए-19013/1/2004-प्रशा०-I--राष्ट्रपति, श्री के० दिलीप कुमार, आंध्र प्रदेश के पूर्व वन सेवा अधिकारी को 25 मई, 2004 के पूर्वाह्न से अगले पांच वर्षों तक अथवा श्री के० चन्द्र शेखर राव के मंत्रिपरिषद में निविभाग मंत्री बने रहने तक, जो भी पहले हो, निदेशक के ग्रेड में 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में, केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में निविभाग कबीना मंत्री, श्री के० चन्द्र शेखर राव के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

सुनील मिश्र, उप सचिव

## योजना आयोग

नई दिल्ली, 14 जून 2004

सं० ए-19(10)/2001-प्रशा०-II--योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, श्रीमती ए० श्रीजा (आईईएस का ग्रेड-III) की प्रतिनियुक्ति आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए केरल सरकार के कृषि विभाग के डब्ल्यूटीओ सैल में विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु चयन होने के परिणामस्वरूप उनकी सेवाएं दिनांक 14 जून, 2004 को अपराह्न से केरल सरकार को सौंपी जाती है।

टी० आर० मीणा, निदेशक (प्रशा०)

दिनांक 18 जून, 2004

सं० ए-43014/4/2000-प्रशा० II--सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 11-06-2004 के आदेश सं० 12015/1/2004-आईएसएस के अनुसरण में, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के कनिष्ठ समय-मान स्तर के अधिकारी, श्री जे० एस० परमार ने योजना आयोग में 8000-275-13500/- रुपये के वेतनमान में अनुसंधान अधिकारी के रूप में दिनांक 16-06-2004 (पूर्वाह्न) से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

टी० आर० मीणा, निदेशक (प्रशा०)

## सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 जून 2004

सं० ए-19011/1/2004-प्रशा० I--राष्ट्रपति, डॉ० मनोरंजन भा० प्र० सेत्रा (उ० प्र० 69) को 1 जून, 2004 (पूर्वाह्न) से सचिव, भारत सरकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम

कार्यान्वयन मंत्रालय के रूप में नियुक्त करते हैं। उन्होंने उसी तारीख से अगले आदेश होने तक महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल लिया है।

ए० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय  
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 2004

सं० ए० 32013/3/2004-प्रशा०-I (वि० वि०)—  
राष्ट्रपति, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में श्री चन्द्र वीर, सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड IV) को 21 जून, 2004 के पूर्वार्द्ध से 90 दिनों की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक इस मंत्रालय के उक्त विभाग में रूपए 12,000-375-16,500 के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) के रूप में कार्य करने हेतु सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति न तो उन्हें उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा की गई तदर्थ सेवा की गणना इस ग्रेड में बरिष्ठता अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

एम० दास, उप सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 जून 2004

सं० के० 11017/3/2004-यू०एस०-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश के साक्ष परामर्श करने के पश्चात्, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद श्री तीरथ सिंह ठाकुर को दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें निदेश देते हैं कि वे 6 जुलाई, 2004 को या उससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में पदभार ग्रहण करें।

के० गुट्टु, निदेशक (न्यायिक)

भारत उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

के० गुट्टु, निदेशक (न्यायिक)

दिनांक 22 जून 2004

सं० के० 13013/2/2004-यू०एस०-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश (1) न्यायविद् श्री चितपंति बेंकट रामुलु (2) न्यायविद् श्री रामध्यागारि सूभाष रेड्डि (3) न्यायविद् श्री खंडवल्लि चंद्रभानु को उनके द्वारा अपना-अपना पद ग्रहण करने की तारीख से उसी वरीयता क्रम में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

के० गुट्टु, निदेशक (न्यायिक)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून 2004

सं० ए-43020/25/2004-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी०एस०एस०) के निम्नलिखित इन-सिटू (स्वस्थाने) उप सचिवों को पूर्णतया तदर्थ आधार पर दिनांक 25 मार्च, 2004 से नियमित अभ्यर्थियों के मिलने तक अथवा अन्य आदेशों के होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम
	सर्वश्री
1.	अब्दुल रशीद
2.	सत्य पाल
3.	विनोद रत्ती
4.	आर० के० सिंह
5.	आर० के० मित्रा
6.	श्याम जित्दल
7.	गुरमेल सिंह
8.	श्रीमती बीना प्रसाद

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

दिनांक 28 जून 2004

सं० के० 13031/2/2003-यू०एस०-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नरेन्द्र नाथ तिवारी को उनके द्वारा पद ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए

सं० ए-43020/25/2004-प्रशा० 1—राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय (मुख्य) में कार्यरत के० सं० से० गृह मंत्रालय संदर्भ के निम्नलिखित स्थाई सहायकों को पूर्णतया तदर्थ आधार पर उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से नियमित अभ्यर्थियों

के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं :-

क्र० अधिकारी का नाम सहायकों के लिए कार्यभार ग्रहण करने की तारीख की एससीए.एल में क्रम संख्या

1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	डी०वी०एस०पी० वर्मा एसएल 1988		25-3-2004
2.	सतीश चन्द्र एसएल 1988		25-3-2004
3.	आर०सी० दास एसएल 1988		25-3-2004
4.	नवनीत मिश्रा एसएल 1988		25-3-2004
5.	रतन कुमार दास	209	25-3-2004
6.	एच० के० धसमाना	223	25-3-2004
7.	श्रीमती कामना एस० दीक्षित	299	25-3-2004
8.	अनिल कुमार (जस्टिस)	318	25-3-2004
9.	प्रेम नारायण	355	25-3-2004
10.	मनोज कुमार	375	25-3-2004
11.	के० के० गुप्ता	384	25-3-2004
12.	एस० के० मोहंती	385	25-3-2004
13.	बी० के० शर्मा	396	01-4-2004
14.	जी० डी० आहूजा	397	25-3-2004
15.	बी० एस० शर्मा	409	25-3-2004
16.	प्रभाकर	413	25-3-2004
17.	एस० के० वधवा	418	01-4-2004
18.	के० मोतीरमानी	436	01-4-2004
19.	अनिल कुमार	437	25-3-2004
20.	ओ० पी० कपूर	473	01-4-2004
21.	एम० सी० त्यागी	474	01-4-2004
22.	आर० के० शर्मा	513	01-4-2004
23.	जी० कनिष्क	514	25-3-2004
24.	खजान सिंह	548	25-3-2004
25.	ब्रह्म स्वरूप	570	21-4-2004
26.	तेज पाल सिंह	578	1-4-2004
27.	सुभाष कुमार	623	25-3-2004
28.	हर भगवान	624	1-4-2004
29.	चन्द्र भान सिंह	626	1-4-2004
30.	डी० के० सक्सेना	628	1-4-2004
31.	बी० के० खन्ना	631	1-4-2004
32.	ए० के० सोनी	634	1-4-2004
33.	जे० एल० चुष	636	1-4-2004
34.	एस० पी० नौटियाल	637	1-4-2004

1	2	3	4
35.	वाय० के० वधवा	639	30-4-2004
36.	ए० के० श्रीवास्तव	641	1-4-2004
37.	एन० के० सहगल	644	1-4-2004
38.	बी० डी० कौण्डिन	646	1-4-2004
39.	एच० एस० टग्वर	647	1-4-2004
40.	अतुल सक्सेना	649	25-3-2004
41.	आर० एन० मिश्रा	652	25-3-2004
42.	नंद लाल	654	25-3-2004
43.	आर० एन० शुक्ला	655	25-3-2004
44.	श्रीमती आशा रानी सबलोक	659	25-3-2004
45.	आर० के० परथी	661	25-3-2004
46.	आर० सी० शर्मा	665	25-3-2004
47.	जय दीप प्रसाद	666	25-3-2004
48.	एस० के० कोहली	668	25-3-2004
49.	पी० के० रावत	670	25-3-2004
50.	जी० एस० चड्ढा	672	25-3-2004
51.	बी० एन० शर्मा	674	25-3-2004
52.	अशोक कुमार हूजा	677	25-3-2004
53.	जे० के० थपलियाल	680	25-3-2004
54.	डी० के० भट्ट, वार्जी	684	25-3-2004
55.	जे० पी० भट्ट	691	25-3-2004
56.	एम० के० अग्रवाल	694	25-3-2004
57.	श्रीमती नरेन्द्र आनंद	797	25-3-2004
58.	श्रीमती कमलेश मदान	798	25-3-2004
59.	योगेश झा	801	25-3-2004
60.	सत पाल	803	25-3-2004
61.	जे० बी० दीक्षित	808	25-3-2004
62.	सुरेन्द्र कुमार	809	25-3-2004
63.	श्रीमती सुभाष कुमारी शर्मा	812	25-3-2004
64.	चन्द्र कांता नागपाल	817	25-3-2004
65.	आर० एल० बंसल	820	01-4-2004
66.	ए० के० मंडावर	821	25-3-2004
67.	श्रीमती वीना खोसला	824	25-3-2004
68.	आर० सी० यादव	825	25-3-2004
69.	पी० एस० डरवारिया	827	25-3-2004
70.	रामानन्द यादव	828	25-3-2004
71.	अरुण गोस्वामी	829	25-3-2004
72.	गजराज सिंह	830	25-3-2004
73.	एस० सी० भाटिया	831	25-3-2004
74.	जी० डी० कोठारी	837	25-3-2004
75.	श्रीमती कंचनजीत कौर	844	19-4-200

1	2	3	4	1	2	3	4
76.	एस० सी० दास	845	25-03-2004	80.	एस० सी० अग्रवाल	855	25-03-2004
77.	गिरधारी लाल	847	25-03-2004	81.	राज कुमार मगो	857	25-03-2004
78.	ए० एस० पंवार	848	25-03-2004	82.	त्रिलोक सिंह	858	25-03-2004
79.	रामजी लाल	853	25-03-2004				

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

दिनांक 28 जून 2004

सं० ए-32013/10/2002/-प्रशा० 1—कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 अप्रैल, 2004 के कार्यालय ज्ञापन सं० 4/7/2003-सीएस 1 के द्वारा वर्ष 1995 व 1996 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 अधिकारियों (अवर सचिव ग्रेड) की चयन सूची में उनका नाम शामिल किये जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के गृह मंत्रालय संवर्ग और अन्य संवर्गों के निम्नलिखित स्थाई अनुभाग अधिकारियों को, जो तदर्थ आधार पर गृह मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को निम्नांकित ब्यौरे के अनुसार नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम तथा संयुक्त वरिष्ठता सूची संख्या	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21-4-2004 के का० सी० के अनुसार सी०एस०एस० के ग्रेड 1 में निर्धारित वरिष्ठता	नियुक्ति की मान्य तारीख	तैनाती का स्थान
----------	---	--	-------------------------	-----------------

चयन सूची-1995

श्री/श्रीमती

1.	उमेश कुमार तिवारी-2949	04	01-07-1995	कर्मचारी चयन आयोग
2.	श्रीमती बी० नलिनी-3619	28	-वही-	न्याय विभाग/गृह मंत्रालय
3.	रणधीर सिंह-3785	38	-वही-	गृह मंत्रालय
4.	तरसेम सिंह-3798	58	-वही-	31-12-1997 को सेवानिवृत्त

चयन सूची-1996

5.	टी० श्रीनिवास-3086	01	01-07-1996	गृह मंत्रालय
6.	जी० गणेशन-3645	21	-वही-	गृह मंत्रालय
7.	बी० एस० धूपिया-3650	26	-वही-	राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो
8.	पी० के० राय-3668	39	-वही-	प्रधानमंत्री कार्यालय
9.	अभिजीत गांगुली-3675	45	-वही-	गृह मंत्रालय
10.	जे० एस० सेहरावत-3684	54	-वही-	राजभाषा विभाग/ गृह मंत्रालय

2. उपरोक्त चयन सूचियों से उपरोक्त अधिकारियों को अवर सचिव के पद पर नियुक्ति श्री आर० के० ओझा व सुश्री प्रीति श्रीवास्तव द्वारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किये गये त्रिविज रिट याचिका के मामलों में अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगी ।

3. उपरोक्त अधिकारियों की अवर सचिव के रूप में नियुक्ति उनके अनुमोदित सेवा एवं अवर सचिव के रूप में कल्पित वेतन निर्धारण के लिए क्रमशः 1-7-1995 एवं 1-7-1996 से मान्य होगी । परन्तु, कल्पित वेतन के पुनर्निर्धारण स्वरूप बढ़े हुए वेतन का वास्तविक लाभ उनके अवर सचिव के रूप में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग व मुख्य आदेश के आधार पर प्रारंभिक तदर्थ नियुक्ति की तारीख से प्रोद्भूत होगा । उन अधिकारियों को एफ० आर० 22 के अनुसार वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का लाभ प्राप्त करने का

भी हक प्राप्त होगा परन्तु ऐसे अधिकारी जो अपने चयन सूची वर्ष के प्रथम जुलाई से पहले ही तदर्थ आधार पर अवर सचिव नियुक्त हो गये थे एवं स्पिलिट विकल्प (Spilit Option) का लाभ ले चुके थे, पुनर्निर्धारण के विकल्प का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

नई दिल्ली-110066 दिनांक 17 जून 2004

सं 32/34/21/2001—प्रशा. 1/रा. अ रि. ब्यूरो गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के श्री आर० गोपाल कृष्ण, अनुभाग अधिकारी की अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर उन्हें सरकारी सेवाओं से 31-5-2005 अपराह्न से कार्यभार मुक्त किया जाता है।

भूपेन्द्र सिंह धूपिया, सहायक निदेशक (प्रशा०)

कार्यक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्यक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 2004

सं० 14015/08/2003-अ०भा०से० (1)-क—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में विहित उपबंधों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने, भारतीय प्रशासनिक सेवा के संयुक्त अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, संघ राज्य क्षेत्र (ए०जी०एम०यू०टी०) संवर्ग के संघ राज्य क्षेत्र खंड में वर्ष 2003 के संबंध में 01 (एक) रिक्ति भरने हेतु चयन समिति द्वारा 26 दिसम्बर, 2003 को आयोजित अपनी बैठक में तैयार की गई अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग (ए०जी०एम०यू०टी०) के संघ राज्य क्षेत्र खण्ड के राज्य सिविल सेवा के अधिकारी श्री बी० एस० बैनर्जी (जन्म तिथि-13-08-1949) के नाम वाली वर्ष, 2003 की प्रवर सूची अनुमोदित कर दी है :—

जगन लाल, अवर सचिव

सं० 14015/08/2003-अ०भा०से० (1)-ख—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिबीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 के साथ पठित, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, संघ राज्य क्षेत्र (ए०जी०एम०यू०टी०) संवर्ग के संघ राज्य क्षेत्र के खंड के राज्य सिविल सेवा के अधिकारी श्री बी० एस० बैनर्जी को वर्ष 2003 की रिक्ति पर, भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिबीक्षा पर, अगले आदेशों तक तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अधीन अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम,

संघ राज्य क्षेत्र (ए०जी०एम०यू०टी०) संवर्ग के संघ राज्य क्षेत्र खंड में आबंटित करते हैं।

जगन लाल, अवर सचिव

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(अधिकांश कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 जून 2004

सं० एफ०06/3/2004-एफ०बी०-II—श्री पी० चिदम्बरम, वित्त मंत्री, भारत सरकार, को श्री जसवन्त सिंह के स्थान पर 24 मई, 2004 से अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आरबीआरडी), अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए), अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) और बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण सीगा) के बोर्ड आफ गवर्नर्स में भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया है।

अजय सेठ, निदेशक (एफ०बी०)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 2004

एफ सं० 2/14/2003-सिक्का-1—राष्ट्रपति, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव को 24-06-2004 के पूर्वाह्न से 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में भारत सरकार मुद्रणालय में वरिष्ठ कारखाना प्रबंधक के पद पर नियुक्त करते हैं।

अपराजिता चौधरी, अवर सचिव

एफ० सं० 1/8/2004-एफ०बी०-I—श्री पी० चिदम्बरम, वित्त मंत्री, भारत सरकार, को श्री जसवन्त सिंह के स्थान पर, दिनांक 24 मई, 2004 से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया है।

जे० ए० भाटिया, अवर सचिव

(मुद्रा एवं सिक्का प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 2004

सं० एफ०4/3/2003-करेंसी-1 (एस०पी०एम०)—राष्ट्रपति, प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद में कार्यरत तकनीकी अधिकारी (विद्युत) श्री बाबुराव बंसोर को पदोन्नति पर 8000-13500 रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद में दिनांक 29-4-2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक सहायक प्रबंधक (विद्युत) के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी० के० शर्मा, अवर सचिव

## व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 2004

सं० ए-12023/1/2002-प्रशा II—राष्ट्रपति, इस विभाग के कर्मचारी निरीक्षण एकक में निम्नलिखित दो अधिकारियों को 8 जून, 2004 (पूर्वाह्न) से 10000-325-15200/-रु० के वेतनमान में वरिष्ठ विश्लेषक के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

क्र० अधिकारी का नाम मूल कार्यालय इस नियुक्ति से पहले सं० तथा पदनाम प्रतिनियुक्ति अवधि

श्री/सर्वश्री

- |   |               |   |  |      |
|---|---------------|---|--|------|
| 1 | विजय कुमार    | संघ लोक सेवा आयोग में डेस्क अधिकारी     | 11-2-2003 से 2004 तक आर०जी० आई० के कार्यालय, गृह मंत्रालय में उप निदेशक। | 7-6- |
| 2 | एस०सी० गुप्ता | मानव संसाधन विकास मंत्रालय में अवर सचिव | शून्य  |      |

2. इसी अथवा अन्य विभाग/संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले अन्य पूर्व-संवर्ग में धारित पद की प्रतिनियुक्ति अवधि को मिलाकर कुल प्रतिनियुक्ति अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मोहिन्दर कुमार, अवर सचिव

सं० ए-12034/8/2000-प्रशा II—राष्ट्रपति, इस विभाग की 31 जुलाई, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में कर्मचारी निरीक्षण एकक, व्यय विभाग में 6500-10500/-रु० के वेतनमान में सहायक उप निदेशक (कनिष्ठ विश्लेषक) के पद के निम्नलिखित छह अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीखों से और एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाते हैं।

क्र० सं० अधिकारी का नाम बढ़ाई गई प्रतिनियुक्ति की तारीख

श्री/सर्वश्री	से	तक
1	राकेश शर्मा	30-6-2004(अप) 30-6-2005
2	धरम सिंह	1-7-2004 30-6-2005
3	के०बी० दानिया	4-7-2004 3-7-2005
4	अशोक कुमार शर्मा	4-7-2004(अप) 4-7-2005
5	बी०के० नौटियाल	10-7-2004 9-7-2005
6	विजय कौशिक	15-7-2004 14-7-2005

मोहिन्दर कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 2004

सं० 41 : (फा० सं० ए 19014/35/2004-प्रशा०-1)---  
भारत के राष्ट्रपति, श्री के० सी० पात्रा (अ० ज० जा०) जो

वर्तमान में राजस्व विभाग में (तदर्थ आधार पर) अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वित्त संवर्ग के नियमित सहायक हैं उन्हें बरिष्ठतः कोटा के प्रति वर्ष 2001 की के० सा० से० के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में चयन सूची में उनका नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप, दिनांक 16 जून 2004 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेश होने तक, राजस्व विभाग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं। श्री के० सी० पात्रा को अनुभाग अधिकारी (प्रशा०-1क) के रूप में तैनात किया जाता है।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 2004

सं० : 2004. फा० सं० ए-32014/2/2002-प्रशा-1क—राष्ट्रपति, दिनांक 21 मई 2004 की अधिसूचना के क्रम में और संवर्ग प्रशासन अनुभाग के दिनांक 24 जून, 2004 के का० जा० सं० ए-32014/3/2002-सी ए एस के अनुपालन में, सर्वश्री एन० एन० वर्मा और एन० एन० शर्मा की रु० 6500-10500/- के वेतनमान में निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ नियुक्तियों को दिनांक 30 सितम्बर, 2004 तक बढ़ाते हैं।

आर० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 2004

सं० 7(3)/2004-सीडीएन—श्री वी० लक्ष्मी रतन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (टीएन-1967) ने दिनांक 6-6-04 (अपराह्न) से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत टेरिफ आयोग के अध्यक्ष पद का भार दिनांक 6-6-04 (अपराह्न) से छोड़ दिया है।

जी० एम० सिंह, अवर सचिव

कोयला और खान मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 2004

सं०-ए-12012/1/2004-प्रशा०—राष्ट्रपति, श्री भास्कर चटर्जी सुपुत्र श्री विस्वानाथ चटर्जी को कोयला और खान मंत्री (श्री शिवू सोरेन) के निजी स्टाफ में सहायक निजी सचिव के पद पर 6500-200-10,500/-रु० के वेतनमान पर 24 मई 2004 (पूर्वाह्न) से सह-आवधिक आधार पर मंत्री जी के कार्यकाल तक अथवा जब तक उन्हें इनकी सेवाओं की आवश्यकता हो, इनमें से जो पहले हो, नियुक्त करते हैं।

गार्गी मुखर्जी, निदेशक

## इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2004

सं० 2(6)/2004 स्थापना—राष्ट्रपति, श्री के० के० दास, अशुलिपिक, ग्रेड 'घ' श्रम मंत्रालय को 24 मई, 2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक या मंत्रीजी द्वारा उनकी सेवाएं लिए जाने तक अथवा मंत्रीजी द्वारा रसायन तथा उर्वरक और इस्पात मंत्री का कार्यालय छोड़ने तक, जो भी पहले हो, रसायन तथा उर्वरक और इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) के प्रथम वैक्तिक सहायक के पद पर नियुक्त करते हैं।

बाबू राम, अवर सचिव

सं० 2 (15)/2003-स्थापना—राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9-12-2003 के क्रम में, इस्पात मंत्रालय में स्थायी उप-औद्योगिक सलाहकार श्री एस० के० मजूमदार की इसी मंत्रालय में तदर्थ आधार पर संयुक्त औद्योगिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति को दिनांक 9-6-2004 से आगे 6 माह, या नियमित पदधारी के उपलब्ध होने, या अग्रिम आदेशों, जो भी पहले हो, तक बढ़ाते हैं।

श्री मजूमदार की तदर्थ नियुक्ति का बढ़ाया जाना उपरोक्त अधिसूचना में दी गई शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा।

बाबू राम, अवर सचिव

दिनांक 17 जून 2004

सं० 2(6)/2004-स्थापना-I—राष्ट्रपति, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अवर सचिव, श्री एस० एम० अब्दुल फहीम को 16-6-2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक अथवा मंत्री जी द्वारा उनकी सेवाएं लिए जाने तक अथवा रसायन तथा उर्वरक और इस्पात मंत्री का कार्यालय छोड़ने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रसायन तथा उर्वरक और इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) के अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

बाबू राम, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 2004

सं० ए-12024/1/2002-एस०ए०—राष्ट्रपति, शर्करा निर्देशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में श्री आर० एम० बारापात्रे, सहायक निदेशक (निरीक्षण) को 8 जून, 2004 से 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में उपनिदेशक (शर्करा नियंत्रण) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस० बी० विस्वास, निदेशक

सं० ए-32012/2/2003-एस० ए०—राष्ट्रपति राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर में शर्करा इंजीनियरिंग के लैक्चरर डॉ० स्वेन को राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में 11 जून, 2004 से 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में शर्करा इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० बी० विस्वास, निदेशक

## पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली,—110003, दिनांक 24 मई 2004

सं० 17013/11/2003-भा० व० से०-II—भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उपविनियम 3 में निर्हित उपबंधों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2003 के लिए महाराष्ट्र राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के लिए चयन सूची की तैयारी के लिए 30-12-2003 को चयन समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। सघ लोक सेवा आयोग ने उक्त बैठक में तैयार की गई चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय वन सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग में उपलब्ध पदोन्नति रिक्तियों को 1 जनवरी 2003 तक भरने के लिए महाराष्ट्र राज्य वन सेवा के निम्नलिखित आठ सदस्यों के नाम शामिल हैं :

क्रम सं०	अधिकारी के नाम	जन्म-तिथि
	सर्वश्री	
1.	डा० यू० एस० फारूकी	06-05-1955
2.	एम० के० चन्देकर (अ० जाति)	03-04-1949
3.	डी० बी० श्रीखंडे (वी जे एन टी)	01-06-1954
4.	यू० एस० राठीड़ (वी जे एन टी)	04-07-1956
5.	जी० टी० चौहान	04-07-1958
6.	टी० एन० सालुंके	20-03-1959
7.	एम० सी० गनाना	15-04-1958
8.	एस० एल० थावरे	01-09-1955

जी० देवनानी, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून 2004

सं० ए-32014/1/2004-स्थापना-I इस मंत्रालय की दिनांक 3 जून 2004 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संवर्ग में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा एस० सी० एस० एल०



1989 के सहायक, श्री वी० एल० कपूर, की इस मंत्रालय में 8500-200-10,500/- रु० के वेतनमान में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के पद पर नियुक्ति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 मार्च, 2004 के का०ज्ञा० संख्या 21/9/2004-सी०एस०-I के भनूसरण में दिनांक 24-5-2004 की बजाए दिनांक 31-05-2004 के पूर्वाह्न से प्रभावी होगी।

2. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नतियां पूर्ण रूप से काम चलाऊ (स्टाय गैप) उपाय हैं और इस ग्रेड में उन्हें अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेंगी।

डा० अनिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 16 जून 2004

सं० ए-32013/2/2003-स्था-I—राष्ट्रपति, वरिष्ठता कोटा के तहत, वर्ष 2001 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की सूची में उनका नाम शामिल हो जाने के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित सहायकों को प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट तारीख से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त करते हैं :—

- |                         |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| 1. श्री बाबू राम गुप्ता | — | 31-05-2004 |
| 2. कु० ज्योति गुलाटी    | — | 13-05-2004 |

डा० अनिल कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 2004

सं० ए० 12025/57-94-सी० एच० एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा० अमरेन्द्र कुमार सिंह को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-4000 रु० (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में 21 सितम्बर 1994 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० अमरेन्द्र कुमार सिंह को उसी तारीख से श्रम कल्याण संगठन, कर्मा के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 17 जून 2004

सं० ए० 12025/24/96-सी० एच० एस०-IV—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० अशोक कुमार को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपसंवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II (ई० एन० टी०) में परिवीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 24 नवम्बर, 1998 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद में

10,000-325-15,200/- रु० के वेतनमान में विशेषज्ञ ग्रेड-II (ई० एन० टी०) के पद पर तैनात करते हैं।

वाई० के० तलवार, उप सचिव

दिनांक 22 जून 2004

सं० ए० 38020/2/2004-सी० एच० एस०-IV—अधिवर्षितावय प्राप्त कर लेने पर सेवा निवृत्ति के परिणामस्वरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपसंवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-I (हड्डी रोग विज्ञान) के एक अधिकारी, डा० विश्वनाथ पति ने दिनांक 30 अप्रैल, 2004 के अपराह्न से सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में विशेषज्ञ ग्रेड-I (हड्डी रोग विज्ञान) के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

वाई० के० तलवार, उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 2004

सं० 27-2512/2004-स्था-I—वर्ष 2002 की संयुक्त सीमित विभागीय परीक्षा में श्री अनिल परासर, कृषि एवं सहकारिता विभाग के सी० एस० एस० एस० कैंडिड के समूह 'ग' अधिकारी, के अर्ह पाये जाने और वर्ष 2002 की केन्द्रीय सचिवालयी सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में उनका नाम विभागीय परीक्षा कोटा के आधार पर पाये जाने के कारण राष्ट्रपति उनको इसी विभाग में 17 मई, 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक के लिए अनुभाग अधिकारी (6500-10,500 रु०) (समूह "ख" राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

के० डी० उम्रेती, अवर सचिव

दिनांक 3 जून 2004

सं० 12022/2/2004-स्था०-I—राष्ट्रपति, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 16-4-2004 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर के०स०से० में अवर सचिव (ग्रेड-I) नियुक्त करते हैं :—

1. श्री राघे श्याम
2. श्री पी० एल० मीना

2. पदोन्नत पद पर इन अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति से उनको श्रेणी में वरिष्ठता या अवर सचिव के रूप में नियमित नियुक्ति के लिए किसी दावे का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

के० डी० उम्रेती, अवर सचिव

## (परिपालन और डेयरी विभाग)

दिनांक 7 जून, 2004

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून 2004

सं० 5-3/2004-प्रशा० 4--राष्ट्रपति, श्री ए० ए० शेख, प्रबंध निदेशक, मदर डेयरी फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड को दिल्ली दुग्ध योजना में 19-4-2004 से ऋण आधार पर 31-5-2005 तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, 14300-18300/- रूपए के वेतनमान में महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त करते हैं।

के० एस० चन्द्रहसन, उप सचिव

## जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जून 2004

संख्या 12034/2/2004-स्था० (टी० ए०)--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय लघु निगम उद्योग लि० के संयुक्त प्रबंधक श्री ए० आर० सिंह को दिनांक 24-5-2004 (पूर्वाह्न) से पूर्णतः अस्थायी और को-टर्मिनस आधार पर 10,000-325-15,200/- रूपए के वेतनमान में जनजातीय कार्य मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, अवर सचिव

## संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

## (दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 अप्रैल 2004

सं० 41-3/99 प्रशा० I/ IV--राष्ट्रपति जी श्री ए० वेंकटसुब्रामण्यन, उप बेतार सलाहकार, बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध, दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तुत दिनांक 31-12-2003 के स्वैच्छिक सेव-निवृत्ति के नोटिस (सूचना) को सहर्ष स्वीकार करते हैं तथा उन्हें सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-क के अन्तर्गत सरकारी सेवा से 13 मार्च, 2004 अपराह्न से सेवा-निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

एस० के० वर्मा, उप सचिव

दिनांक 28 मई 2004

सं० पीएफ-491/प्रशासन-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री पी० के० चंदा, सदस्य (सेवा), दूरसंचार आयोग 31 मई 2004 के अपराह्न से सरकारी सेवा में सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एस० के० वर्मा, उप सचिव (प्रशा०)

सं० पीएफ-499/प्रशासन-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री के० ए० खान, सदस्य (प्रौद्योगिकी), दूरसंचार आयोग 31 मई 2004 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एस० के० वर्मा, उप सचिव (प्रशा०)

सं० 36-1/2004-प्रशा०-I--राष्ट्रपति, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहायक श्री जिया-उर-रहमान को 6500-10500/- रु० के वेतनमान में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (डॉ० शकील अहमद) के प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में दिनांक 24 मई, 2004 की पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

2. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (डॉ० शकील अहमद) के प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में श्री जिया-उर-रहमान की नियुक्ति संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (डॉ० शकील अहमद) के विवेक पर तथा उनके कार्य-काल तक के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की जाती है।

एस० के० वर्मा, उप-सचिव (प्रशा०)

## विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून, 2004

सं० 15/2004-मि० सं० ए०-38012/1/2004 प्रशा० एक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री ए० के० पुरी, जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 31 मई, 2004 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

विकास चन्द्र काजला, अवर सचिव

## शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल, 2004

सं० ए-32013/1/2003-प्रशा०-I : राष्ट्रपति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25-3-2004 के फा०जा० सं० 21/10/2004-सीएस I में दिए अनुदेशों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अवर सचिवों (स्वस्थाने) को दिनांक 25-3-2004 से अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में पदोन्नत करते हैं :-

क्र० सं०	नाम	जहाँ कार्यरत है
1		2
	सर्व श्री/श्रीमती	
1.	सुमित चटर्जी, अवर सचिव (स्वस्थाने)	सचिवालय
2.	ललित दास,	" "
3.	एस०पी० मुंजाल,	" "
4.	एस०सी० कनौजिया	" "
5.	के०आर० मोहन	" "
6.	जे०एस० दुआ,	" "
7.	दया कृष्ण पालीवाल,	" "
8.	वाई०पी० जोखानी,	" "
9.	एस०एन० गुप्ता,	" "

1	2	3
10.	एन०एल० उपाध्याय, अवर सचिव (स्वस्थाने) सचिवालय	
11.	एस०एम० सुन्दरम, ,, ,, ,,	
12.	एम० राम जोगेश, ,, ,, ,,	
13.	सतीश कुमार, ,, ,, ,,	
14.	लाजपत राय गुप्ता, ,, ,, ,,	
15.	मधु शाम, ,, ,, ,,	
16.	रेखा चौहान, ,, ,, मुद्रण निदेशालय	
17.	अशोक अरोड़ा, ,, ,, भूमि और विकास कार्यालय	
18.	एच० के० बेनीवाल ,, ,, ,, ,,	
19.	के० रामाचन्द्रन, अवर सचिव (स्वस्थाने) मुद्रण निदेशालय	
20.	जय राज, अवर सचिव (स्वस्थाने) सचिवालय	
21.	वी० रामकुमार, अवर सचिव (स्वस्थाने) मुद्रण निदेशालय	
22.	दर्शन लाल, अवर सचिव (स्वस्थाने) मुद्रण निदेशालय	
23.	वी० पी० गुप्ता, अवर सचिव (स्वस्थाने) संपदा निदेशालय	
24.	महेन्द्र सिंह, अवर सचिव (स्वस्थाने) संपदा निदेशालय	
25.	जी० श्रीधरन, अवर सचिव (स्वस्थाने) संपदा निदेशालय	
26.	ए० के० शर्मा, अवर सचिव (स्वस्थाने) संपदा निदेशालय	
27.	सुरिन्द्र कौर, अवर सचिव (स्वस्थाने) संपदा निदेशालय	
28.	आर० पी० शर्मा, अवर सचिव (स्वस्थाने) संपदा निदेशालय	
29.	एस० कनाकाम्बरन, अवर सचिव (स्वस्थाने) संपदा निदेशालय	
30.	एस० के० चक्रवर्ती, अवर सचिव (स्वस्थाने) संपदा निदेशालय	
31.	हरप्रताप सिंह, अवर सचिव (स्वस्थाने) संपदा निदेशालय	
32.	जीतमल, अवर सचिव (स्वस्थाने) निर्माण महानिदेशालय के० लो० नि० वि०	
33.	डी० पी० ए० चौहान, अवर सचिव (स्वस्थाने) निर्माण महानिदेशालय के० लो० नि० वि०	
34.	अनित्र उनयाल, अवर सचिव (स्वस्थाने) निर्माण महानिदेशालय, के० लो० नि० वि०	
35.	आर०के० गम्भीर, अवर सचिव (स्वस्थाने) संपदा निदेशालय	
36.	एस०सी० बल, अवर सचिव (स्वस्थाने) निर्माण महानिदेशालय, के० लो० नि० वि०	
37.	आर०के० नायर, अवर सचिव (स्वस्थाने) निर्माण महानिदेशालय, के० लो० नि० वि०	
38.	सी०के० बासु, अवर सचिव (स्वस्थाने) निर्माण महानिदेशालय, के० लो० नि० वि०	
39.	ओम प्रकाश, अवर सचिव (स्वस्थाने) निर्माण महानिदेशालय, के० लो० नि० वि०	
40.	सूरज भान, अवर सचिव (स्वस्थाने) संपदा निदेशालय	
41.	मिताली घोष, अवर सचिव (स्वस्थाने) निर्माण महानिदेशालय, के० लो० नि० वि०	

1	2	3
42.	एस०आर० घोष, अवर सचिव (स्वस्थाने) निर्माण महानिदेशालय, के० लो० नि० वि०	
43.	बी०बी० बब्बर, अवर सचिव (स्वस्थाने) निर्माण महानिदेशालय, के० लो० नि० वि०	
44.	दिनेश सिंह, अवर सचिव (स्वस्थाने) निर्माण महानिदेशालय, के० लो० नि० वि०	
45.	जेम्स वनलाहलीर, अवर सचिव (स्वस्थाने) निर्माण महानिदेशालय, के० लो० नि० वि०	
46.	टी० के० दास, डीडी (स्वस्थाने) निर्माण महानिदेशालय, के० लो० नि० वि०	
47.	प्रेम कुमार, अवर सचिव (स्वस्थाने) सचिवालय	
48.	आर०सी० नायक, अवर सचिव (स्वस्थाने) मुद्रण निदेशालय	
49.	आर०एस० फोगाट, अवर सचिव (स्वस्थाने) संपदा निदेशालय	
50.	रमेश कुमार, अवर सचिव (स्वस्थाने) मुद्रण निदेशालय	
51.	सतनाम सिंह, अवर सचिव (स्वस्थाने) संपदा निदेशालय	

(i) तदर्थ पदोन्नति से उपर्युक्त अधिकारी ग्रेड में अनियमित समय तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सिलेक्शन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के पात्र नहीं होंगे।

(ii) अधिकारी अगले आदेशों तक उसी कार्यालय में कार्य करते रहेंगे।

(iii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग पुनर्गठन के परिणामस्वरूप विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अवर सचिव के पद पर निश्चित संख्या में नियतन किए जाने पर और इस बीच प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण जरूरी हो तो इन अधिकारियों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

(iv) यदि उपर्युक्त में से कोई अधिकारी दिनांक 25-3-2004 को अवकाश पर है, तो उनकी पदोन्नति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय को संशोधित संख्या नियत किए जाने और अब सचिवों की स्वीकृत संख्या में वास्तविक वृद्धि का कार्यालय-वार निर्णय होने तक इस पदोन्नति के परिणामस्वरूप उप सचिव पद की स्वीकृत संख्या में वृद्धि को अस्थायी पदों का सृजन माना जायेगा।

एस० पी० गुप्ता, उप सचिव

दिनांक 5 मई 2004

लिखित शर्तों के अध्येक्षीन होगी :—

सं० ए-22012/1/2001-प्रशा०-I—राष्ट्रपति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25-3-04 के का० ज्ञा० सं० 21/11/2004-सीएस-I में निहित अनुदेशों अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित उप सचिवों (स्वस्थाने) को दिनांक 25-3-2004 के उप सचिव (तदर्थ) के पद पर पदोन्नत करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	जहाँ कार्यरत है
	सर्वश्री	
1.	श्रीमती सुनीता एच० खुराना	सचिवालय
2.	एन० नमोशिवायम	सचिवालय
3.	श्याम कपूर	सचिवालय
4.	एस०के० ग्रीवर	सचिवालय
5.	एस० एल० त्रिपाठी	सचिवालय
5.	श्रीमती कल्पना नारायण	सचिवालय
7.	दीवान चन्द	निर्माण महानिदेशालय, के०लो०नि०वि०
8.	सुजया कृष्णन	संपदा निदेशालय
9.	एन० एन० माथुर	संपदा निदेशालय
10.	एस० के० व्यवहारे	मुद्रण निदेशालय

उप सचिव ग्रेड के पद पर उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति निम्न-

(i) तदर्थ पदोन्नति से उपर्युक्त अधिकारी के ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सिलेक्शन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के पात्र नहीं होंगे।

(ii) अधिकारी अगले आदेश तक उसी कार्यालय में कार्य करते रहेंगे।

(iii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग पुनर्गठन के परिणामस्वरूप विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में उप सचिव के पद पर निश्चित संख्या में नियतन किए जाने पर और इस बीच प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण जरूरी हो तो इन अधिकारियों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

(iv) यदि उपर्युक्त में से कोई अधिकारी दिनांक 25-3-04 को अवकाश पर है तो उसकी तदर्थ पदोन्नति उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय को उप सचिव के पदों की संशोधित संख्या नियत किए जाने और उप सचिव पदों की स्वीकृत संख्या में वास्तविक वृद्धि का कार्यालय-वार निर्णय होने तक इस पदोन्नति के परिणामस्वरूप उप सचिव पद की स्वीकृत संख्या में वृद्धि को अस्थायी पदों का सृजन माना जाएगा।

एस० पी० गुप्ता, उप सचिव

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 24th June 2004

No. A. 22012/1/2004-PMA.—The President is pleased to appoint Shri R. Gopalakrishnan, IAS (MP:1979) as Joint Secretary in the Prime Minister's Office w.e.f. the forenoon of 24-6-2004 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

ROHIT KHERA  
Officer on Spl Duty

The 28th June 2004

No. A. 22017/4/2004-PMA.—The President is pleased to appoint Shri Ashish Kumar Singh, IAS (MH:88) as Private Secretary to the Minister of State, Prime Minister's Office (Shri Prithviraj Chavan) in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of June 22, 2004 upto 29th January, 2009 or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

ROHIT KHERA  
Officer on Spl Duty

No. A. 22017/5/2004-PMA.—The President is pleased to appoint Shri Padam Singh Tangania, a Senior Principal Private Secretary of CSSS cadre of Department of Telecommunication in the same capacity against the post of Private Secretary to National Security Adviser (Shri J. N. Dixit) in the scale of pay of Rs. 12000—16500/- w.e.f. 07-06-2004 (A/N) until further orders.

2. The appointment of Shri Padam Singh on the personal staff is co-terminus with the tenure of and at the discretion of the National Security Adviser.

ROHIT KHERA  
Officer on Spl Duty

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 22nd June 2004

No. RS/6(iv)/2004/36-Perl.—The services of Shri Rajesh Sharma who had been appointed as Senior Private Secretary on co-terminus basis in the personal staff of Chairman, Committee on Government Assurances, Rajya Sabha stand terminated with effect from the forenoon of the 22nd June, 2004, after granting him a winding up period of 15 days w.e.f. 7th June, 2004.

VANJULA G. RAJAN  
Under Secy.

The 25th June 2004

No. RS/6(ii)/2004/37-Perl.—The services of the following individuals who had been appointed as Senior Private Secretaries on co-terminus basis in the personal staff of Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha stand terminated with effect from the afternoon of the 25th June, 2004, after granting them a winding up period of 15 days with effect from 10th June, 2004 :—

- (i) Shri S. R. Nijhawan
- (ii) Shri Ranjan Chaturvedi.

VANJULA G. RAJAN  
Under Secy.

No. RS/6 (iii)/2004/38-Perl.—The services of Shri A. K. Channan who had been appointed as Senior Private Secretary on co-terminus basis in the personal staff of Leader of opposition, Rajya Sabha stand terminated with effect from the forenoon of 21st June, 2004.

VANJULA G. RAJAN, Under Secy.

No. RS/6 (iii)/2004/39-Perl.—Shri B. P. Thomas has been appointed to officiate as Senior Principal Private Secretary in the scale of pay of Rs. 12,750-325-16,500 in the Rajya Sabha Secretariat, in the personal staff of Leader Opposition, Rajya Sabha, with effect from the forenoon of 21st June, 2004, until further orders.

2. The appointment of Shri B. P. Thomas is at the discretion of the present Leader of Opposition, Rajya Sabha, and will be co-terminus with the term of his office.

VANJULA G. RAJAN, Under Secy.

The 28th June 2004

No. RS/4 (viii)/2004/40-Perl.—On being relieved as Private Secretary to erstwhile Minister of State for Railways (Shri Basanagouda R. Patil) and after availing E. L. for four days from 22-6-2004 to 25-6-2004, Shri K. S. Somashekhar, Parliamentary Interpreter resumed duties in this Secretariat with effect from the forenoon of 28th June, 2004.

VANJULA G. RAJAN, Under Secy.

## CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 24th June 2004

No. A-19013/1/2004-Ad. I.—The President is pleased to appoint Shri K. Dileep Kumor, ex-Andhra Pradesh Forest Service Officer as Private Secretary to Shri K. Chandra Shekhar Rao, Cabinet Minister Without Portfolio in the Union Council of Minister in the grade of Director in the pay scale of Rs. 14300-400-18300/- with effect from the forenoon of 25th May, 2004 for a period of five years or until Shri K. Chandra Shekar Rao continues in the Council of Minister as Minister Without Portfolio, whichever takes place earlier.

SUNIL MISHRA, Dy. Secy.

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 14th June 2004

No. A-19 (10)/2001-Adm. II.—Consequent upon her selection for appointment as Special Officer in the WTO Cell of Agriculture Department of Government of Kerala on deputation basis for a period of 3 years, the services of Smt. A. Srija (Grade III of IES), Senior Research Officer, Planning Commission are placed at the disposal of Government of Kerala w.e.f. the afternoon of 14th June, 2004.

T. R. MEENA, Director (Adm.)

The 18th June 2004

No. A-43014/4/2000-Admn. II.—In pursuance of Ministry of Statistics and Programme Implementation's Order No. 12015/1/2004-ISS, dated 11-06-2004, Shri J. S. Parmar, a Junior Time Scale level officer of Indian Statistical Service, has assumed charge as Research Officer in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 with effect from 16-06-2004 (F/N).

T. R. MEENA, Director (Adm.)

## MINISTRY OF STATISTICS &amp; P. I.

New Delhi-1, the 22nd June 2004

No. A-19011/1/2004-Ad-I.—The President is pleased to appoint Dr. Mano Ranjan, IAS (UP : 69) as Secretary to the Government of India, Ministry of Statistics & Programme Implementation with effect from 1st June, 2004 (Forenoon). He has also taken additional charge of the post of Director General, Central Statistical Organisation from the same date till further orders.

A. K. SAXENA, Jt. Secy.

## MINISTRY OF LAW &amp; JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 21st June 2004

No. A. 32013/3/2004-Admn.I(L.D.).—The President is pleased to appoint Shri Chander Veer, Assistant Legislative Counsel (Grade IV of the Indian Legal Service) in the Legislative Department, Ministry of Law & Justice to officiate as Deputy Legislative Counsel (Grade III of Indian Legal Service) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- purely on ad-hoc basis in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice for a period of 90 days with effect from the forenoon of the 21 June, 2004 and until further orders.

2. This ad-hoc appointment will not bestow on him any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Deputy Legislative Counsel (Grade III of Indian Legal Service), nor the ad-hoc services rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

M. DAS, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110 011, the 21st June 2004

No. K. 11017/3/2004-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Tirath Singh Thakur, Judge of the Karnataka High Court, as a Judge of the Delhi High Court and to direct him to assume charge of his office in the Delhi High Court on or before 6th July, 2004.

K. GURTU, Dir. (Justice)

No. K. 13031/2/2003-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Narendra Nath Tiwari, to be an Additional Judge of the Jharkhand High Court, for a period of two years w.e.f. the date he assumes charge of his office.

K. GURTU, Dir. (Justice)

The 22nd June 2004

No. K. 13013/2/2004.US.I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Justice Chintapanji Verkata Ramulu, (2) Shri Justice Ramayyagari Subhash Reddy and (3) Shri Justice Khandavalli Chandra Bhanu, Additional Judges of the Andhra Pradesh High Court, to be Judges of the Andhra Pradesh High Court, in that order of seniority, w.e.f. the date they assume charge of their respective office.

K. GURTU, Dir. (Justice)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 23rd June 2004

No. A-43020/25/2004-AD.I.—The President is pleased to appoint the following in-situ Deputy Secretaries of Central Secretariat Services (CSS) working in the Ministry of Home Affairs (P) purely on ad-hoc basis from 25th March,

2004 till regular candidates become available or until further orders whichever is earlier.

Sl. No., Name of the Officer

S/Shri

1. Abdul Rashid
2. Satya Pal
3. Vinod Ratti
4. R. K. Singh
5. R. K. Mitra
6. Shyam Jindal
7. Gurmel Singh
8. Smt. Bina Prasad.

S. K. BHATNAGAR, Under Secy.

The 28th June 2004

No. A-4320/25/2004-Ad.I.—The President is pleased to appoint the following permanent Assistants of CSS Cadre of MHA working in MHA(P) to the post of Section Officers purely on ad-hoc basis from the date mentioned against each, till regular candidates become available or until further order whichever is earlier :—

Sl. No., Name of the Officer, Sl. No. in SCSL of Assistants for the year 1989 issued on April 20, 2004 and Date of joining

1	2	3	4
S/Shri			
1.	D. V. S. P. Varma,	SL 1988—25/03/2004	
2.	Satish Chander,	SL 1988—25/03/2004	
3.	R. C. Das,	SL 1988—25/03/2004	
4.	Navneet Mishra,	SL 1988—25/03/2004	
5.	Ratan Kumar Das,	209—25-03-2004	
6.	H. K. Dhasmana,	223—25/03/2004	
7.	Smt. Kamana S. Dikshit,	299—25/03/2004	
8.	Anil Kumar (Justice),	318—25/03/2004	
9.	Prem Narain,	355—25/03/2004	
10.	Manoj Kumar,	375—25/03/2004	
11.	K. K. Gupta,	384—25/03/2004	
12.	S. K. Mohanty,	385—25/03/2004	
13.	V. K. Sharma,	396—01/04/2004	
14.	G. D. Ahuja,	397—25/03/2004	
15.	B. S. Sharma,	409—25/03/2004	
16.	Prabhakar,	413—25/03/2004	
17.	S. K. Wadhwa,	418—01/04/2004	
18.	K. Motiramani,	436—01/04/2004	
19.	Anil Kumar,	437—25/03/2004	
20.	O. P. Kapur,	473—01/04/2004	
21.	M. C. Tyagi,	474—01/04/2004	
22.	R. K. Sharma,	513—01/04/2004	
23.	G. Kanishka,	514—25/03/2004	
24.	Khazan Singh,	548—25/03/2004	

1	2	3	4	1	2	3	4
25.	Brahma Sarup,	570—21/04/2004		55.	J. P. Bhatt,	691—25/03/2004	
26.	Tej Pal Singh,	578—01/04/2004		56.	M. K. Agrawal,	694—25/03/2004	
27.	Subhash Kumar,	623—25/03/2004		57.	Smt. Narinder Anand,	797—25/03/2004	
28.	Har Bhagwan,	624—01/04/2004		58.	Smt. Kamlesh Madan,	798—25/03/2004	
29.	Chandra Bhan Singh,	626—01/04/2004		59.	Yogesh Jha,	801—25/03/2004	
30.	D. K. Saxena,	628—01/04/2004		60.	Sat Pal,	803—25/03/2004	
31.	V. K. Khanna,	631—01/04/2004		61.	J. B. Dixit,	808—25/03/2004	
32.	A.K. Soni,	634—01/04/2004		62.	Surender Kumar,	809—25/03/2004	
33.	J. L. Chugh,	636—01/04/2004		63.	Smt. Subhash Kumari Sharma,	812—25/03/2004	
34.	S. P. Nautiyal,	637—01/04/2004		64.	Chander Kanta Nagpal,	817—25/03/2004	
35.	Y. K. Wadhwa,	639—30/04/2004		65.	R. L. Bansal,	820—01/04/2004	
36.	A. K. Srivastava,	641—01/04/2004		66.	A. K. Mandawar,	821—25/03/2004	
37.	N. K. Sehagal,	644—01/04/2004		67.	Smt. Veena Khosla,	824—25/03/2004	
38.	B. D. Koundin,	646—01/04/2004		68.	R.C. Yadav,	825—25/03/2004	
39.	H. S. Taggar,	647—01/04/2004		69.	P. S. Dravaria,	827—25/03/2004	
40.	Atul Saxena,	649—25/03/2004		70.	Ramanand Yadav,	828—25/03/2004	
41.	R. N. Mishra,	652—25/03/2004		71.	Arun Goswami,	829—25/03/2004	
42.	Nand Lal,	654—25/03/2004		72.	Gajraj Singh,	830—25/03/2004	
43.	R. N. Shukla,	655—25/03/2004		73.	S. C. Bhatia,	831—25/03/2004	
44.	Smt. Asha Rani Sablok,	659—25/03/2004		74.	G. D. Kothari,	837—25/03/2004	
45.	R. K. Pruthi,	661—25/03/2004		75.	Smt. Kanwaljit Kaur,	844—19/04/2004	
46.	R. C. Sharma,	665—25/03/2004		76.	S. C. Das,	845—25/03/2004	
47.	Jai Deep Prasad,	666—25/03/2004		77.	Girdhari Lal,	847—25/03/2004	
48.	S. K. Kohli,	668—25/03/2004		78.	A. S. Panwar,	848—25/03/2004	
49.	P. K. Rawat,	670—25/03/2004		79.	Ramji Lal,	853—25/03/2004	
50.	G. S. Chadha,	672—25/03/2004		80.	S. C. Aggarwal,	855—25/03/2004	
51.	B. N. Sharma,	674—25/03/2004		81.	Raj Kumar Mago,	857—25/03/2004	
52.	Ashok Kumar Huja,	677—25/03/2004		82.	Trilok Singh,	858—25/03/2004	
53.	J. K. Thapliyal,	680—25/03/2004					
54.	D. K. Bhattacharjee,	684—25/03/2004					

S. K. BHATNAGAR, Under Secy.

The 28th June 2004

No. A-32013/10/2002-Ad.I.—Consequent on inclusion of their names in the Select List of Grade I of Central Secretariat Service (Under Secretary Grade) for the years 1995 & 1996 by the Department of Personnel and Training vide their O.M. No. 4/7/2003-CS.I dated the 21st April, 2004, the President is pleased to appoint the following permanent Sec-

tion Officers of CSS Cadre of Ministry of Home Affairs and officiating as Under Secretaries on adhoc basis in the Ministry of Home Affairs and its cadre units to the Grade I of CSS (Under Secretary) on regular basis as per details indicated below :—

Sl. No.	Name of the Officer and CSL No.	Seniority Assigned in Grade I of CSS as per DP&Trg's O.M. dated 21-4-2004	Deemed date of appointment	Present Posting
1	2	3	4	5
<b>SELECT LIST—1995</b>				
S/Shri/Smt				
1.	Umesh Kumar Tiwari-2949	04	01-07-1995	SSC
2.	Mrs. B. Nalini—3619	28	01-07-1995	DOJ/MHA
3.	Randhir Singh—3785	38	01-07-1995	MHA
4.	Tarsam Singh—3798	58	01-07-1995	Since retired w.e.f. 31-12-97

1	2	3	4	5
<b>SELECT LIST—1996</b>				
S/Shri/Smt.				
5.	T. Srinivas—3086	01	01-07-1996	MHA
6.	G. Ganesan—3645	21	01-07-1996	MHA
7.	B. S. Dhupia—3650	26	01-07-1996	NCRB
8.	P. K. Roy—3768	39	01-07-1996	PMO
9.	Abhit Ganguly—3675	45	01-07-1996	MHA
10.	J. S. Sehrawat—3684	54	01-07-1996	DOL/MHA

2. The appointment of the above officers to the post of Under Secretary from the above Select Lists shall be subject to the final decision in the Civil Writ Petitions filed in the High Court of Delhi by Shri R. K. Ojha and Ms. Preeti Srivastava Vs. Union of India and Others.

3. The appointment of the above mentioned may be deemed to have been made effective w.e.f. 1-7-1995 & 1-7-1996 respectively for the purpose of approved service and for fixation of their pay in the grade of Under Secretary on notional basis. The actual benefits however would be available only from the date the officers were so appointed to the post of Under

Secretary. The officers would be entitled to arrears on account of re-fixation of pay from the dates of their actual appointment to the post of Under Secretary ordered centrally by the DOPT. In addition, these officers shall also be entitled to exercise the benefit of option for fixation of their pay as provided under the provision of FR-22. However, such officers, who were promoted as ad hoc Under Secretary prior to the 1st July of their Select List year and had availed of the benefit of split option, shall not be eligible to re-exercise the option.

S. K. BHATNAGAR, Under Secy.

#### NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU

New Delhi-110066, the 17th June 2004

No. 32/34/21/2001-Ad.I/NCRB-3233.—On attaining the age of superannuation, Shri R. Gopalakrishnan, Section Officer, National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, retires from Government service w.e.f. the afternoon of 31-05-2004.

B. S. DHUPIA, Asstt. Dir. (Admn.)

#### MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 24th June 2004

F. No. 6/3/2004-FB-II.—Shri P. Chidambaram, Minister of Finance, Government of India has been appointed India's Governor on the Board of Governors of the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Development Association (IDA), International Finance Corporation (IFC) and Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) w.e.f. 24th May, 2004 vice Shri Jaswant Singh.

AJAY SETH, Director (FB)

#### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 22nd June 2004

No. 14015/08/2003-AIS(I)-A.—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2003 for UT Segment of the joint AGMUT Cadre, containing the name of Shri B. S. Banerjee (Date of Birth : 13-08-1949), a member of the State Civil Service of the UT segment of the AGMUT Cadre, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 26th December, 2003, towards filling up 1 (one) vacancy during 2003 in the Indian Administrative Service.

JAGAN LAL, Under Secy.

New Delhi, the 28th June 2004

No. 2/14/2003-Coin.I.—The President is pleased to appoint Shri Ajai Kumar Srivastav as Senior Works Manager of India Government Mint in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- w.e.f. 24th June 2004 (F/N).

APARAJITA CHOWDHURY, Under Secy.

New Delhi, the 28th June 2004

F. No. 1/8/2004-FB.I.—Shri P. Chidambaram, Finance Minister, Government of India, has been appointed to be India's Governor on the Board of Governors of the International Monetary Fund vice Shri Jaswant Singh w.e.f. May 24, 2004.

J. S. BHATIA, Under Secy.

No. 14015/08/2003-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Shri B. S. Banerjee, a member of the State Civil Service of the UT segment of the AGMUT Cadre to the Indian Administrative Service against the vacancy of the year 2003 on probation with immediate effect until further orders and to allocate him to the UT segment of the AGMUT Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

JAGAN LAL, Under Secy.

(CURRENCY & COINAGE)

New Delhi, the 17th June 2004

F. No. 4(3)/2003-Cy.I(SPM).—The President is pleased to appoint Shri B. R. Bansore, Technical Officer (Electrical), Security Paper Mill, Hoshangabad to the post of Assistant Manager (Electrical) in the scale of Rs. 8000—13500/- (revised) in the Security Paper Mill, Hoshangabad on regular basis w.e.f. 21-04-2004 (F/N) on promotion and until further orders.

P. K. SHARMA, Under Secy.



## (DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 21st June 2004

No. A. 12023/1/2002-Ad.II.—The President is pleased to appoint the following two officers to the post of Senior Analyst in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- in the Staff Inspection Unit of this Department w.e.f. 8th June 2004 (F/N) on deputation basis :—

Sl. No.	Name of the Officer	Parent Office & Designation	Deputation tenure preceding this appointment
	S/Shri		
1.	Vijay Kumar	Desk Officer in the UPSC	Deputy Director in the Office of RGI, MHA from 11-2-2003 to 07-6-2004
2.	S. C. Gupta	Under Secretary in the Ministry of Human Resource Development	Nil

The total period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or other Department/Organization shall not exceed 5 years.

MOHINDER KUMAR, Under Secy.

No. A 12034/8/2000 Ad.II.—In continuation of this Department's Notification of even No. dated 31st July, 2003, the President is pleased to extend the deputation of the following six officers to the post of Assistant Deputy Director (Junior Analyst) in the pay scale of Rs. 6500—10500 in the Staff Inspection Unit of Department of Expenditure for another one year with effect from the date mentioned against their names —

Sl. No., Name of the Officer &amp; Date of Extended Deputation

S/Shri

1. Rakesh Sharma—30-6-2004 (AN) to 30-6-2005
2. Dharam Singh—01-7-2004 to 30-6-2005
3. K. B. Dania—04-7-2004 to 03-7-2005
4. Ashok Kumar Sharma—04-7-2004 (AN) to 04-7-2005
5. B. K. Notiyal—10-7-2004 to 09-7-2005
6. Vijay Kaushik—15-7-2004 to 14-7-2005

MOHINDER KUMAR, Under Secy.

## (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 21st June 2004

No. 41. (F. No. A-19014/35/2004-Ad.I.)—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade of CSS for the year 2001 against seniority quota, the President of India is pleased to appoint Shri K. C. Patra (ST), presently working as Section Officer (on ad-hoc basis) in the Department of Revenue and a permanent Assistant of Finance Cadre of the Central Secretariat Service, as Section Officer on Regular basis in the Department of Revenue with effect from 16-6-2004 (FN) and until further orders. Shri K. C. Patra is posted as Section Officer (AD.IA).

PREETI PANT, Under Secy.

New Delhi, the 25th June 2004

No. 2004 (F. No. A-32014/2/2002-Ad.I.A.)—In continuation to Notification dated 21-5-2004 and in pursuance of the Cadre Administration Section O. M. Nos. A-32014 3/2002-CAS dated 24-6-2004, the President is pleased to continue the

ad-hoc appointments of S/Shri N. S. Verma and N. S. Sharma in the grade of Private Secretary in the pay scale of Rs. 6500—10,500/- up to 30-9-2004.

R. K. MALHOTRA, Under Secy.

## MINISTRY OF COMMERCE &amp; INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY &amp; PROMOTION)

New Delhi, the 16th June 2004

No. 7(3)/2004-CDN.—Consequent upon having retired voluntarily with effect from 6-6-2004 (AN), Shri V. Lakshmi Ratan, IAS (TN-1967) has relinquished his charge of the post of Chairman Tariff Commission, in Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce & Industry w.e.f. 6-6-2004 (AN).

G. M. SINGH, Under Secy.

## MINISTRY OF COAL AND MINES

(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 25th June 2004

No. 12012/1/2004-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Bhaskar Chatterjee, son of Shri Biswanth Chatterjee as Assistant PS to the Minister of Coal and Mines (Shri Shibu Soren) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from 24th May, 2004 (FN). His appointment will be co-terminus with the tenure of the Minister or till the Minister requires his services, whichever is earlier.

GARGI MUKERJEE, Director

## MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 9th June 2004

No. 2(6)/2004-Estt(.).—The President is pleased to appoint Sh. K. K. Das, Steno Gr. D, Ministry of Labour as First Personal Assistant to Minister of Chemicals & Fertilizers and Steel (Sh. Ram Vilas Paswan) w.e.f. 24-5-2004 (FN) and until further orders or till his services are required by the Minister or till the Minister relinquishes the Office of Minister of Chemicals & Fertilizers and Steel whichever is the earliest.

BABOO RAM, Under Secy.

No. 2(15)/2003-Estt.—In continuation of the Ministry of Steel Notification of even number dated 9-12-2003, the President is pleased to extend the appointment of Shri S. K. Mazumdar, permanent Deputy Industrial Adviser in M/o Steel as Joint Industrial Adviser on ad-hoc basis in the same Ministry for a further period of six months with effect from 9-6-2004 or till a regular incumbent becomes available or till further orders whichever event takes place at the earliest.

The extension of the ad-hoc appointment of Shri Mazumdar will be governed by the same terms and conditions as mentioned in the above-mentioned notification.

BABOO RAM, Under Secy.

The 17th June 2004

No. 2 (6)/2004-Estt. (.).—The President is pleased to appoint Shri S. M. Abdul Faheem, Under Secretary of CSS Cadre of Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) as Additional Private Secretary to Minister of Chemicals & Fertilizers and steel (Sh. Ram Vilas Paswan) w.e.f. 16-6-2004 (F/N) and until further orders or till his services are required by the Minister or till the Minister relinquishes the office of Minister of Chemicals & Fertilizers and Steel whichever is the earliest.

BABOO RAM, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD &  
PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 22nd June 2004

No. A-12024/1/2002-SA.—The President is pleased to appoint Shri R. M. Barapatre, Assistant Director (Inspection) as Deputy Director (Sugar Control) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200, at Directorate of Sugar, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Food & Public Distribution, with effect from 8th June, 2004.

S. B. BISWAS, Director

No. A-32012/2/2003-SA.—The President is pleased to appoint Shri Doctor Swain, Lecturer of Sugar Engineer in the National Sugar Institute, Kanpur to the post of Assistant Professor of Sugar Engineering in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 at National Sugar Institute, Kanpur, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, with effect 11th June, 2004.

S. B. BISWAS, Director

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 24th May 2004

No. 17013/11/2003-IFS.II.—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, a meeting of the Selection Committee for preparation of Select List for promotion from the State Forest Service of Maharashtra to the Indian Forest Service for the year 2003 was held on 30-12-2003. The Union Public Service Commission has approved the Select List prepared in the said meeting containing the names of the following eight members of the State Forest Service of Maharashtra towards filling up of

promotion vacancies available in Maharashtra cadre of the Indian Forest Service as on 1st January, 2003 :—

S No., Name of the officer, Date of Birth

S/Shri

1. Dr. U. M. Farooqui—06-05-1955
2. M. K. Chandekar(SC)—03-04-1949
3. D. B. Shrikhande (VJNT)—01-06-1954
4. U. S. Rathod (VJNT)—04-07-1956
5. G. T. Chowhan—04-07-1958
6. T. N. Salunke—20-03-1959
7. M. C. Ganatra—15-04-1958
8. S. L. Thavre—01-09-1955

G. DEVNNI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE  
(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 15th June 2004

No. A. 32014/1/2004-Estt.I.—In partial modification of this Ministry's Notification of even number dated the 3rd June, 2004, the appointment of Shri V. L. Kapur, Assistant of CSS (SCSL 1989), working in the cadre of Ministry of Health & Family Welfare, to the Section Officers grade of CSS in this Ministry, on ad-hoc basis, in the pay scale of Rs. 6500-200-10500, will be effective from the forenoon of 31-05-2004 instead of 24-05-2004, in pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 21/09/2004-CS.I dated the 25th March, 2004.

2. The ad-hoc promotions made above are purely a stop gap measure and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.

Dr. ANIL KUMAR, Under Secy.

The 16th June 2004

No. A. 32013/2/2003-Estt.I.—Consequent upon their inclusion in the Select List of Section Officer's Grade of Central Secretariat Service, for the year 2001, against the Seniority Quota, the President is pleased to appoint the following Assistants in the Section Officer's Grade of the Central Secretariat Service in the Ministry of Health & Family Welfare with effect from the dates mentioned against each :—

1. Shri Babu Ram Gupta—31-05-2004
2. Kum. Jyoti Gulati—13-05-2004

Dr. ANIL KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110011, the 17th June 2004

No. A. 12025/57/94-CHS.I.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Amarendra Kumar Singh to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200—4000 (prerevised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 21st September, 1994 until further orders. Dr. Amarendra Kumar Singh is posted as Medical Officer under Labour Welfare Organisation, Karina with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110011, the 17th June 2004

No. A. 12025/24/96-CHS.IV.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased

to appoint Dr. Ashok Kumar to the post of Specialist Grade-I (ENT) of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service, on probation and to post him as specialist Grade-II (ENT) at C.G.H.S., Hyderabad in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of the 24th November 1998 until further orders.

Y. K. TALWAR, Dy. Secy.

The 22nd June 2004

No. A. 38020/2/2004-CHS. IV.—Consequent on his retirement from service on attaining the age of superannuation, Dr. Biswanath Pati, an officer of the Specialist Grade-I Orthopaedics) of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service relinquished charge of the post of Specialist Grade-I (Orthopaedics), Safdarjung Hospital, New Delhi with effect from the afternoon of the 30th April, 2004.

Y. K. TALWAR, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 18th May 2004

No. 27-2512/2004-E-I.—Consequent upon his qualifying the Combined Limited Departmental Examination for the year 2002 and inclusion of his name in the Select List of Section Officer's Grade of the Central Secretariat Service for the year 2002 against the Departmental Examination Quota. The President is pleased to appoint Shri Anil Prashar, Grade-C officer of CSSS Cadre of the Department of Agriculture and Cooperation, as Section Officer (Rs. 6500—10500) (Group 'B' Gazetted) in the same Department with effect from the forenoon of 17th May, 2004 and until further orders.

K. D. UPRETI, Under Secy.

The 3rd June 2004

No. 12022/2/2004-E-I.—The President is pleased to appoint the following Central Secretariat Service (CSS) Section Officers in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) as Under Secretary (Grade-I) of CSS on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 16-4-2004 :—

1. Shri Radhey Shyam
2. Shri P. L. Meena

2. The ad-hoc appointment of these officers against the upgraded post will not entitle them to any claim for regular appointment as Under Secretary or seniority in the Grade.

K. D. UPRETI, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

New Delhi, the 15th June 2004

No. 5-3/2004-Admn. IV.—The President is pleased to appoint Shri N. A. Shaikh, Managing Director Mother Dairy Foods Processing Limited as General Manager, Delhi Milk Scheme in the pay scale of Rs. 14300—18300/- w.e.f. 19-4-2004 on loan basis up to 31-5-2005 or till further orders, whichever is earlier.

K. S. CHANDRAHASAN, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 8th June 2004

No. A. 12034/2/2004-Estt. (TA).—The President is pleased to appoint Shri S. R. Singh, Joint Manager, National Small Industries Corporation Ltd., to the post of Additional Private Secretary to Minister for Tribal Affairs in the pay

scale of 10,000-325-15,200/- on purely temporary and co-terminus basis w.e.f. 24-5-2004 (F/N).

S. K. GUPTA, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 28th April 2004

No. 41-3/99 Admn.I/IV.—The President has been pleased to accept the notice of voluntary retirement dated 31-12-2003 tendered by Shri S. Venkatasubramanian Deputy Wireless Adviser, Wireless Planning and Coordination Wing, Department of Telecommunications and to permit him to retire from Government service under Rule 48-A of CCS (Pension) Rules, 1972 with effect from the forenoon of 13th March, 2004.

S. K. VERMA, Dy. Secy.

New Delhi-110001, the 28th May 2004

No. PF-491/Admn. I.—On attaining the age of superannuation, Shri P. K. Chanda, Member (Services), Telecom Commission shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 31st May, 2004.

S. K. VERMA, Dy. Secy. (Admn.)

No. PF-499/Admn. I.—On attaining the age of superannuation, Shri K. H. Khan, Member (Technology), Telecom Commission shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 31st May, 2004.

S. K. VERMA, Dy. Secy. (Admn.)

The 7th June 2004

No. 36-1/2004-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri Zia-ur-Rehman, Assistant of M/o Rural Development as First P. A. to Minister of State for Communications and Information Technology (Dr. Shakeel Ahmad) in the Pay Scale of Rs. 6,500—10,500/- from the forenoon of 24th May, 2004.

2. The appointment of Shri Zia-ur-Rehman as First P. A. to the Minister of State for Communications and Information Technology (Dr. Shakeel Ahmad) is at the discretion of and co-terminus with the tenure of Minister of State for Communications and Information Technology (Dr. Shakeel Ahmad) or until further orders, whichever happens earliest.

S. K. VERMA, Dy. Secy. (Admn.)

#### MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 17th June 2004

No. 15/2004. F. No. A-38012/1/2004-Adm. I.—Shri A. K. Puri, Chief Engineer an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 31st May, 2004 on attaining the age of superannuation.

V. C. KAJLA, Under Secy.

#### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION

New Delhi, the 21st April 2004

A-32013/1/2003-Admn.I.—The President is pleased to promote the following Under Secretaries (insitu) of CSS as Under Secretaries (ad hoc) w.e.f. 25-3-2004 in accordance

with the instructions contained in DoPT OM No. 21/10/2004-CS.I dated 25-3-2004.

S. No., Name and	Where Working
1. Shri Sumit Chatterjee,	US (insitu)—Secretariat
2. Smt. Lalitha Das,	US (insitu)—Secretariat
3. Smt. S. P. Monjal,	US (insitu)—Secretariat
4. Shri S. C. Kanojia,	US (insitu)—Secretariat
5. Shri K. R. Mohan,	US (insitu)—Secretariat
6. Shri J. S. Dua,	US (insitu)—Secretariat
7. Shri Daya Krishna Paliwal,	US (insitu)—Secretariat
8. Shri Y. P. Jolkhani,	US (insitu)—Secretariat
9. Shri S. N. Gupta,	US (insitu)—Secretariat
10. Shri N. L. Upadhyay,	US (insitu)—Secretariat
11. Shri S. M. Sundaram,	US (insitu)—Secretariat
12. Shri M. Ram Jogesh,	US (insitu)—Secretariat
13. Shri Satish Kumar,	US (insitu)—Secretariat
14. Shri Lajpat Rai Gupta,	US (insitu)—Secretariat
15. Smt. Madhu Sham,	US (insitu)—Secretariat
16. Smt. Rekha Chauhan,	US (insitu)—Dte. of Printing
17. Shri Ashok Arora,	US (insitu)—L& DO
18. Shri H. K. Beniwal,	US (insitu)—L&DO
19. Shri K. Ramchandran,	US (insitu)—Dte. of Printing
20. Shri Jai Raj,	US (insitu)—Secretariat
21. Shri V. Ramkumar,	US (insitu)—Dte. of Printing
22. Shri Darshanlal,	US (insitu)—Dte. of Printing
23. Shri V. P. Gupta,	US (insitu)—Dte. of Estates
24. Shri Mahender Singh,	US (insitu)—Dte. of Estates
25. Shri G. Sridharan,	US (insitu)—Dte. of Estates
26. Shri A. K. Sharma,	US (insitu)—Dte. of Estates
27. Smt. Surinder Kaur,	US (insitu)—Dte. of Estates
28. Shri R. P. Sharma,	US (insitu)—Dte. of Estates
29. Shri S. Kanakambaran,	US (insitu)—Dte. of Estates
30. Shri S. K. Chakraborty,	US (insitu)—Dte. of Estates
31. Shri Harpratap Singh,	US (insitu)—Dte. of Estates
32. Shri Jit Mal,	US (insitu)—DG (W), CPWD
33. Shri D. P. S. Chauhan,	US (insitu)—DG (W) CPWD
34. Shri Anil Unyal,	US (insitu)—DG (W), CPWD
35. Shri R. K. Gambir,	US (insitu)—Dte. of Estates
36. Shri S. C. Bal,	US (insitu)—DG (W), CPWD
37. Shri R. K. Nair,	US (insitu)—DG (W), CPWD
38. Shri C. K. Basu,	US (insitu)—DG (W), CPWD
39. Shri Om Prakash,	US (insitu)—DG (W), CPWD
40. Shri Suraj Bhan,	US (insitu)—Dte. of Estates
41. Smt. Meetali Ghosh,	US (insitu)—DG (W), CPWD
42. Shri S. R. Ghosh,	US (insitu)—DG (W), CPWD
43. Shri B. B. Babbar,	US (insitu)—DG (W), CPWD
44. Shri Dinesh Singh,	US (insitu)—DG (W), CPWD
45. Shri James Vanaalhlir,	US (insitu)—DG (W) CPWD
46. Shri T. K. Das,	DD (insitu)—DG(W)CPWD
47. Shri Prem Kumar,	US (insitu)—Secretariat
48. Shri R. C. Naik,	US (insitu)—Dte. of Printing
49. Shri R. S. Phogat,	US (insitu)—Dte. of Estates
50. Shri Ramesh Kumar,	US (insitu)—Dte. of Printing
51. Shri Satnam Singh,	US (insitu)—Dte. of Estates

The above ad hoc promotion to the grade of Under Secretary will be subject to the following conditions :—

- The adhoc promotion shall not confer any right on the officers to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I (Under Secretary) of CSS.
- The Officers may continue to work in the same office until further orders.
- The Officers may be moved to different Ministries/ Departments as and when the allocations of specific number of the posts of Under Secretaries to different Ministries/ Departments is done as a result of cadre restructuring of CSS apart from the transfers which may in the mean time be necessitated due to administrative exigencies.
- In case any of the above officers is on leave on 25-3-04 his/her ad-hoc promotion will be effective from the date he/she joins duty.

The increase in the sanctioned strength of the post of Under Secretaries on account of promotions is to be treated as deemed creation of temporary posts till revised strength is allocated by DoPT to the Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation and actual increase in the sanctioned strength of Under Secretaries is decided office wise.

S. P. GUPTA, Dy. Secy.

The 5th May 2004

No. A-22012/1/2001-Admn.I.—The President is pleased to promote for following Deputy Secretaries (insitu) of CSS as Deputy Secretaries (ad hoc) w.e.f. 25-3-2004 in accordance with the instructions contained in DoPT OM No. 21/11/2004-C.S.I. dated 25-3-04.

Sl. No., Name & Where working

- (S/Shri/Smt.)
- Smt. Sunita H. Khurana, Secretariat
  - N. Namasivayam, Secretariat
  - Shyam Kapoor, Secretariat
  - S. K. Grover, Secretariat
  - S. L. Tripathi, Secretariat
  - Smt. Kalpana Narain, Secretariat
  - Diwan Chand, DG(W), CPWD
  - Sujaya Krishnan, Dte. of Estates
  - N. N. Mathur, Dte. of Estates
  - S. K. Vyawahare, Dte. of Printing

The above ad hoc promotion to the grade of Deputy Secretary will be subject to the following conditions :—

- The adhoc promotion shall not confer any right on the Officers to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.
- The Officers may continue to work in the same office until further orders.
- The Officers may be moved to different Ministries/ Departments as and when the allocations of specific number of the posts of Deputy Secretaries to different Ministries/Departments is done as a result of cadre restructuring of CSS apart from the transfers which may in the mean time be necessitated due to administrative exigencies.
- In case any of the above officers is on leave on 25-3-04 his/her ad-hoc promotion will be effective from the date he/she joins duty.

The increase in the sanctioned strength of the post of Deputy Secretaries on account of promotions is to be treated as deemed creation of temporary posts till revised strength is allocated by DoPT to the Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation and actual increase in the sanctioned strength of Deputy Secretaries is decided office wise.

S. P. GUPTA, Dy. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, फरीदाबाद द्वारा मद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,  
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004